

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 15/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

1. लीलाबाई पत्नि रतनलाल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्री भंवरलाल पिता शंकर जाति रेगरआयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री जगदीश पिता शंकर जाति रेगरआयु वयस्क निवासी मण्डावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।
—प्रार्थीगण

//बनाम//

1. श्री प्रभुलाल पिता धनराज जाति नाई उम्र वयस्क निवासी मंडावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्री प्रविण सिंह पिता नरेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मंडावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मंडावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. श्री धर्मेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी मंडावली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 34 की आराजी नं0 413 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 34 की आराजी नं0 413 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

